6 मार्च 1941 : बाबू मूलचन्द जैन का प्रथम सत्याग्रह

काश आज के युवा समझ पाते 'बापू के सत्याग्रह और आज के आंदोलनों में अंतर'?

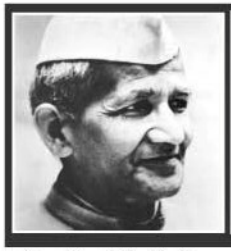

बापू की पूरे विश्व और मानवता को सत्याग्रह की यह एक ऐसी अनोखी देन थी जिसे उन्होंने आत्म-बल को सार्वभौमिक प्रयोग का एक अद्भुत शस्त्र बना दिया था। जिस के विरूद्ध सत्याग्रह करना हो, ना उससे कुछ छिपाना है, ना उसके प्रति कोई द्वेष या क्रोध-भाव रखना। बस खुद को किसी भी किस्म की हानि के भय के बिना, जिसे आप सत्य व सही समझते हैं, उस पर डटे रहना। सत्याग्रही को ना किसी से डरना और ना किसी को डराना होता है। इसी लिये यह कायरों का शस्त्र ना हो कर वीरों का शस्त्र है।''

आज फिर से वह दिन याद आ गया जब 78 वर्ष पहले हमारे बाबूजी ने ठीक आज के ही दिन अपने पैतृक गांव और अपनी जन्म-भूमि सिकंदरपुर माजरा (गोहाना) से 6 मार्च सन् 1941 को अपनी पहली गिरफ्तारी दी। क्या समय था वो और कितना अंतर था उस समय के सत्याग्रह और आज-कल के आन्दोलनों में? सन् 1940 में जब गाँधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन का बिगुल बजाया तो सत्याग्रह का अर्थ ही निराला था, ''सत्य पर अहिंसक मार्ग से आग्रह पूर्वक डटे रहना।'' गांधीजी पूर्ण अहिंसावादी थे। बापू का यह सत्याग्रह आंदोलन भी एक किस्म से सत्य मार्ग के लिये अहिंसा का ही प्रयोगात्मक रूप था।

बापू की पूरे विश्व और मानवता को सत्याग्रह की यह एक ऐसी अनोखी देन थी जिसे उन्होंने आत्म-बल को सार्वभौमिक प्रयोग का एक अद्भुत शस्त्र बना दिया था। जिस के विरूद्ध सत्याग्रह करना हो, ना उससे कुछ छिपाना है, ना उसके प्रति कोई द्वेष या क्रोध-भाव रखना! बस खुद को किसी भी किस्म की हानि के भय के बिना, जिसे आप सत्य व सही समझते हैं, उस पर डटे रहना। सत्याग्रही को ना किसी से डरना और ना किसी को डराना होता है। इसी लिये यह कायरों का शस्त्र ना हो कर वीरों का शस्त्र है।''

परन्तु खेद है कि आज तो सत्याग्रह के नाम पर तोड़-फोड़, आगजनी और गाली-गलौच ही धर्म बन गया है और सरकार की ऐसी-तैसी!

हमारे बाबूजी, जो मन, वचन और कर्म से जीवन भर सच्चे अहिंसक सत्याग्रही रहे, बापू के ऐसे अदभुत आंदोलन के विचार से ही खिल उठे थे क्योंकि यह आन्दोलन इतिहास में अद्वितीय था। कोई भी शख्स इस आंदोलन में अपनी मरजी से भाग नहीं ले सकता था। इसमें भाग लेने के लिए व्यक्ति को गांधी जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। और अनुमति देने के लिए गाँधी जी ने कड़ी शर्तें लगा रखी थी, जैसेः

सत्याग्रह में भाग लेने के लिये किसी भी शख्स को सत्य, अहिंसा, व अस्तेय को अपने जीवन में अपनाया हो। उसके लिये खद्दर पहनना, चरखा कातना, अहिंसा में विश्वास रखना, शराब व अन्य नशे न करना, छुआछूत न करना, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए शांतिमय तरीकों पर विश्वास रखना एवं रचनात्मक कार्यों में आस्था रखना आवश्यक था। विधि अनुसार सत्याग्रह में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को एक फार्म भरना पड़ता था, जिस पर सभी शर्तें लिखी होती थी। जिला कांग्रेस व प्रदेश कांग्रेस की सिफारिश के बाद ही गांधी जी सत्याग्रह करने की अनुमति देते थे। हल्की सी हिंसा या तोड़-फोड़ होने पर भी बापू उसकी ज़िम्मेवारी खुद लेकर सत्याग्रह बंद कर देते थे। किन्तु आज कोई भी नेता किसी की ज़िम्मेवारी नहीं लेता। इसके विपरीत वे तोड़-फोड़, हिंसा व आगजनी के लिये उकसाते हैं।

गिरफ्तारी के समय ग्रामीणों की ओर से भाव-भीनी विदाई : बाबूजी शुरु से ही गांधीवादी विचारों के थे। उक्त सभी शर्तों पर पहले से ही अमल करने के कारण उन्हें सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति जल्दी ही मिल गई। 6 मार्च सन् 1941 को उन्होंने अपनी जन्मभूमि ग्राम सिकन्दरपुर माजरा से ही सत्याग्रह शुरु किया। गांव की चौपाल और उसके आस-पास के समस्त गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। भव्य नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि सभी ग्रामवासी अपने गांव के बहादुर बांके जवान को अलविदा करने नहीं वरन अपना आशीर्वाद देने आए हों।

यहां यह बताना ज़रूरी है कि प्रत्येक सत्याग्रही को सरकार के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार को सूचित करना ज़रूरी था। इसलिये बाबूजी ने भी डीसी रोहतक को पहले ही नोटिस दे दिया था कि वे अपने गांव में 6 मार्च को एक बजे विश्व युद्ध में भारत की ओर से भाग लेने के विरुद्ध जनता को सम्बोधित करेंगे इसलिए काफी संख्या में पुलिस भी तैनात थी। अन्य साथियों के भाषणों के पश्चात बाबूजी ने भाषण देना शुरु किया ही था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओं की आंखों में आंसू थे। किन्तु बाबूजी की आंखें खुशी ओर गर्व से यह सोच कर चमक रही थी कि अन्त में ऐसी शुभ घड़ी आ गई जिसकी उन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा थी। सभी ने उन्हें भाव-भीनी विदाई दी। उन्हें रोहतक जेल में बन्द कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 'भारतीय सुरक्षा कानून' के उल्लंघन के आरोप में एक साल कैद की सजा दे दी।

जेल जाने से पहले उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनके तीन बच्चे और उनकी पत्नी का क्या बनेगा? चूंकि बाबूजी की माता व हमारी दादी अपने रूढ़ीवादी विचारों के कारण यह सोचती थी कि उनके बेटे की सब मुसीबतों का कारण उनकी बहू ही थी, इसलिये उन्होंने हमारी मां को अपने तीनों छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया और वे रोते-बिलखते अपने मायके के लिये पैदल ही चल दी। यह गौर करने वाली बात है कि किसी भी सत्याग्रही का अविवाहित होते जेल जाना और विवाहित होते जेल जाने में बहुत अन्तर था, ख़ासकर तब जब परिवार साधनहीन हो। ऐसे में बाबूजी जैसे विवाहित युवा के जेल जाने से पत्नी, बच्चों और माता-पिता पर क्या गुज़रती है, इसका वर्णन करना आसान नहीं।

बाबूजी उन दिनों भी कॉलेज के दिनों की तरह डायरी लिखा करते थे। गुजरात जेल में लिखी अपनी डायरी में बाबूजी ने लिखा, ''मैं नहीं जानता कि देश कब आज़ाद होगा, परन्तु निजी तौर पर सत्याग्रह में भाग लेने से मुझे अवश्य लाभ हुआ है।'' यहां यह बतलाने की ज़रूरत नहीं कि बाबूजी का समस्त जीवन ही अहिंसा का प्रयोग रहा है।

-डॉ. स्वतन्त्र जैन